कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

संख्या व.सं. / 61 / 2022 – 18

प्रेषक,

अरविन्दर सिंह, भा०व०से०
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक– 11/01/2024

विषय – भागलपुर, कटिहार, पूर्णियाँ अररिया एवं किशनगंज जिलान्तर्गत नुमालीगढ़ रिफाईनरी लि० द्वारा पारादीप–नुमालीगढ़ Crude Oil अन्दर ग्राउन्ड पाईप लाईन बिछाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.42541 हे० वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक भागलपुर, कटिहार, पूर्णियाँ अररिया एवं किशनगंज जिलान्तर्गत नुमालीगढ़ रिफाईनरी लि० द्वारा पारादीप–नुमालीगढ़ Crude Oil अन्दर ग्राउन्ड पाईप लाईन बिछाने के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि अपयोजन हेतु मुख्य प्रबंधक (प्रोजेक्ट पाईपलाईन) मुख्य प्रबंधक (प्रोजेक्ट पाईपलाईन) नुमालीगढ़ रिफाईनरी लि0, 122A जी0 एस0 रोड़ चिरिसटानबस्ती गुवाहाटी का प्रस्ताव वन संरक्षक, पूर्णियाँ एवं भागलपुर अंचल के माध्यम से जाँचोपरान्त प्राप्त हुआ है।

2. विषयांकित परियोजना में अपयोजित होने वाले स्थल, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार के विभिन्न अधिसूचनाओं द्वारा **"सुरक्षित वन (पथ तट, बांध तट एवं नहर तट)" के रूप में अधिसूचित है, जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है।** लेकिन वन भूमि के रूप में अधिसूचित स्थल का स्वामित्व पैतृक विभाग का है। भागलपुर, कटिहार, पूर्णियाँ अररिया एवं किशनगंज जिलान्तर्गत नुमालीगढ़ रिफाईनरी लि० द्वारा पारादीप–नुमालीगढ़ Crude Oil अन्दर ग्राउन्ड पाईप लाईन उक्त अधिसूचित सुरक्षित वन भूमि से होकर गुजरेंगे। प्रस्तावित परियोजना का निर्माण राज्य के तीन वन प्रमंडलों अन्तर्गत होना है जिनमें अपयोजित होने वाली वन भूमि एवं उनमें पड़ने वाले वृक्षों की संख्या निम्नलिखित है–

क्रम सं०	वन प्रमंडल का नाम	क्षेत्रफल (हे० में)	वन भूमि में स्थित वृक्षों की संख्या
1	अररिया	0.093	0
2	पूर्णियाँ	0.32341	0
3	भागलपुर	0.009	18
	कुल	**0.42541**	**18**

वन प्रमंडल पदाधिकारी, अररिया एवं पूर्णियाँ द्वारा अपने स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में अंकित किया गया है कि प्रस्तावित परियोजना स्थल पर वृक्ष उपलब्ध नहीं है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, भागलपुर द्वारा अपने स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में अंकित किया गया है प्रस्तावित परियोजना स्थल पर 18 वृक्ष उपलब्ध है जिसमें से 12 वृक्षों का प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा परियोजना खर्च पर पुर्नस्थापन कराया जायेगा एवं 6 वृक्षों के पातन का प्रस्ताव है।

परियोजना निर्माण का रूट चार्ट को दर्शाते हुए मूल टोपो शीट एवं अपयोजित होने वाली वन भूमि का Geo-referenced नक्शा Index के साथ संलग्न किया गया हैं जो वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा हस्ताक्षरित है।

3. वन प्रमंडल पदाधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदनों के अनुसार अररिया, पूर्णियाँ एवं भागलपुर द्वारा भाग–II की प्रविष्टि में वनों का वानस्पतिक घनत्व क्रमशः 0.1, 01 से कम, 0.05 अंकित किया गया हैं।

तीनों वन प्रमंडल पदाधिकारियों द्वारा भाग–II की प्रविष्टि में यह भी अंकित किया गया है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है। प्रस्तावित Crude Oil अन्दर ग्राउन्ड पाईप लाईन का मार्गरेखन कटिहार स्थित गौगाबील पक्षी आश्रयणी के बाहर एवं दूरस्थ है।

परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये जिला पदाधिकारी, किशनगंज पूर्णियाँ, कटिहार एवं भागलपुर द्वारा FRA, 2006 प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है। परन्तु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-43/2013-FC दिनांक 26.02.2019 (छायाप्रति संलग्न) के आलोक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा FRA, 2006 प्रमाण पत्र, सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र के अनुपालन के बाद उपलब्ध कराने संबंधित दिशा–निर्देश निर्गत की गयी है। तद्आलोक में बिना FRA, 2006 प्रमाण पत्र के ही प्रस्ताव पर Stage-I की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव सरकार को अग्रसारित किया जा रहा है।

4. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश की कंडिका 2.5 (II) के आलोक में निम्नांकित शर्त्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जा सकती है–

(1) भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।

(2) 0.42541 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रू० 9.57780 लाख प्रति हे० के दर से रू० 4,07,449/– (रूपये चार लाख सात हजार चार सौ उनचास) मात्र को प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।

(3) यद्यपि परियोजना निर्माण में वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा फिर भी हरितावरण बनाये रखने के लिये 100 वृक्षों के रोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग के पक्ष में अद्यतन दर पर जमा कराया जायेगा।

(4) वृक्षों का पातन विभागीय देखरेख में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर किया जाएगा एवं पातित काष्ठ को विभागीय वनागार तक पहुँचाया जाएगा। प्राप्त काष्ठ की नीलामी इत्यादि के लिए विभाग को 1580/– रूपये प्रति घनमीटर की दर से राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराएगी।

प्रस्ताव की दो प्रतियाँ अनुलग्नक के साथ अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु इस पत्र से संलग्न कर भेजी जा रही है। उक्त प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह0/–
(अरविन्दर सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण)

ज्ञापांक– व.सं./61/2022– 18 दिनांक – 11/01/2024

प्रतिलिपि – मुख्य प्रबंधक (प्रोजेक्ट पाईपलाईन) मुख्य प्रबंधक (प्रोजेक्ट पाईपलाईन) नुमालीगढ़ रिफाईनरी लि0, 122A जी0 एस0 रोड़ चिरिसटानबस्ती गुवाहाटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आपसे अनुरोध है कि जिला पदाधिकारी, भागलपुर, कटिहार, पूर्णियाँ एवं किशनगंज द्वारा निर्गत FRA, 2006 का प्रमाण उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

11/1/24

(अरविन्दर सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

भागलपुर, कटिहार, पूर्णियाँ अररिया एवं किशनगंज जिलान्तर्गत नुमालीगढ़ रिफाईनरी लि० द्वारा पारादीप–नुमालीगढ़ Crude Oil अन्दर ग्राउन्ड पाईप लाईन बिछाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 0.42541 हे. वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव का चेक लिस्ट–

क्र० सं०	विवरणी	अभ्युक्ति
1	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र–I	संलग्न।
2	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी Undertaking	संलग्न।
3	प्रयोक्ता एजेंसी एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षरित टोपोशीट नक्शा	संलग्न।
4	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराया गया संयुक्त हस्ताक्षरित जियो नक्शा	संलग्न।
5	वन प्रमंडल पदाधिकारी, अररिया, पूर्णियाँ एवं भागलपुर द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र–II	संलग्न।
6	वन प्रमंडल पदाधिकारी, अररिया, पूर्णियाँ एवं भागलपुर का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन	संलग्न।
7	परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि की गणना विवरणी।	संलग्न।
8	वन संरक्षक, पूर्णियाँ एवं भागलपुर अंचल द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र–III	संलग्न।
9	वन संरक्षक, पूर्णियाँ एवं भागलपुर अंचल द्वारा स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन	संलग्न।
10	नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र–IV	संलग्न।

11/1/24

(अरविन्दर सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

फोन नं०–08986153143 ई–मेल apccfcampa.bih@gmail.com

PART-IV

(To be filled in by Nodal Officer or Principal Chief Conservator of Forests or Head of Forest Department)

17. Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance of otherwise of the proposal with remarks.
(While giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forests or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed and critically commented upon).

In this installation of Paradip-Numaligarh-Crude Oil LPG Pipelines of the Numaligarh Refinery Ltd in five district (Bhagalpur, Araria, Kishanganj, Purnia Kathihar) of Bihar State, the use and diversion of aggregate area of 0.42541 ha of forest land notified as "Protected Forest" being the tree plantations along the road side is as per essential requirement of augmentation of Paradip-Numaligarh-Crude Oil LPG Pipelines and justified in that context.

Therefore the proposed diversion of the 0.42541 ha of forest lands under reference is recommended with the stipulations and conditions mentioned in the forwarding letter.

Date : 11.01.2024
Place : Patna

Signature 11/1/24
Name & Designation - Arvinder Singh
APCCF (CAMPA)-cum-Nodal Officer (FC)
(Official Seal)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण)
बिहार, पटना